पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उपराष्ट्रपति सहित राज्यपाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पर लखनऊ पीठ में आयोजित समारोह में शिरकत की

लखनऊः 14 अप्रैल, 2016

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 150वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के गोमती नगर स्थित नये भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। देश के उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति डा॰ डी0वाई0 चन्द्रचूड़, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्री अहमद हसन बेसिक शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन श्री एच0जे0एस0 परिहार सहित न्यायमूर्तिगण व अधिवक्तागण उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने कहा कि परिवर्तनशील विश्व ने भूमण्डलीकरण को अपरिहार्य आवश्यकता बना दिया है। मौलिक विश्लेषण के रूप में इसे देखें तो इसे केवल आर्थिक और उद्योग नीति तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि वैश्विक मानकों तक इसके विस्तारण के लिए सभी क्षेत्रों, जिसमें न्यायिक व्यवस्था के क्षेत्र भी शामिल हैं, तक फैल गया है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम इसके साथ सामंजस्य कर लेते हैं, विधिवेताओं, न्यायाधीशों और याचिका कर्ताओं सभी के लिए उतना बेहतर होगा और अंततः जनता को इससे लाभ मिलेगा।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय तक पहुँचने की कमी, उसकी उच्च लागत, न्याय प्रदान करने में देरी, जवाबदेही के लिए तंत्र का अभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों ने विश्वास को कम किया है। अगर न्यायाधीश और अधिवक्ता समुदाय चाहे तो लम्बे निर्णयों, बार-बार होने वाले स्थगनों और लम्बे समय तक होने वाले मौखिक तर्क-वितर्क को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिबद्धता का होना जरूरी है।

राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय में 160 न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है, लेकिन मात्र 71 न्यायाधीश वर्तमान में उपलब्ध है और शेष 89 पद रिक्त हैं। केवल 44 प्रतिशत न्यायाधीश के माध्यम से न्याय प्रदान करने का कार्य हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जायेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र निर्णय एवं न्याय के लिए पदों का भरा जाना आवश्यक है।

श्री नाईक ने कहा कि भारतीय संविधान के तीनों स्तम्भ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। संविधान और विधि की व्याख्या का दायित्व संविधान द्वारा न्यायपालिका को दिया गया है। इसलिए न्यायपालिका को संविधान और कानून के राज का संरक्षक माना गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना संविधान के तीनों स्तम्भों से अपेक्षित होता है। उन्होंने कहा कि हमें वास्तव में एक ऐसे न्यायतंत्र की स्थापना करनी होगी जो लोगों को शीघ्र न्याय सुलभ कराये।

इस अवसर पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डा॰ डी0वाई0 चन्द्रचूड़ ने स्वागत करते हुए कहा कि बेंच और बार के संयुक्त समन्वय से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमें याचिका कर्ताओं को उपलब्ध संसाधन के आधार पर तत्काल न्याय देने के लिए विचार करना होगा।

श्री अहमद हसन बेसिक शिक्षा मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने सदैव इंसाफ के पैमाने को बनाये रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्याय देने का काम आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा।

कार्यक्रम में श्री एच0जे0एस0 परिहार अध्यक्ष अवध बार एसोसिएशन ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अंजुम/ललित/राजभवन (149/25)

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
INAUGURATION OF SESQUICENTENNIAL CELEBRATIONS AT LUCKNOW
Chief Guest
Shri M Hamid Ansari
Hon'ble Vice President of India
Guests of Honour